



2026:AHC:53666

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्राथना पत्र धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

2547 सन् 2026

आलोक सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आकाश सिंह चौहान, नरेन्द्र मोहन, प्रशांत कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 334/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 351(3) के अंतर्गत, थाना - कछुना, जनपद - प्रयागराज में, आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहता है:-
 - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट में डेढ़ माह का विलंब है।
 - (ii) शवपरीक्षण रिपोर्ट में तीन चोटें दर्शाई गई हैं तथा एक चोट को संदिग्ध सर्पदंश बताया गया है।
 - (iii) सह-अभियुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, शिवम सिंह, दिग्विजय पाल, संतोष शर्मा एवं अंकित सिंह को विद्वान सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज द्वारा दिनांक 26.2.2026 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक का प्रकरण उन सह-अभियुक्तों के समान है, जिन्हें पहले से ही संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

(v) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

(vi) घटना का प्रत्यक्षदर्शी घटना के चार माह बाद आया है तथा उक्त साक्षी भी अविश्वसनीय है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित है। आवेदक को अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मृतक पर हमला करने की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। प्रत्यक्षदर्शी ने भी अभियोजन के संस्करण का समर्थन किया है। अन्य सह-अभियुक्तों को नियमित जमानत दी गई है जबकि आवेदक अग्रिम जमानत मांग रहा है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं करते कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट 13.10.2025 को विलंब के साथ दर्ज की गई है, जबकि कथित घटना 26.8.2025 की बताई जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई अत्यधिक विलंब की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं दी गई है। शवपरीक्षण रिपोर्ट यह संकेत नहीं देती कि मृतक की मृत्यु उस पर किए गए हमले के कारण हुई। शवपरीक्षण में दर्ज मृत्यु का कारण "मृत्युपूर्व रीढ़ की हड्डी की चोटें जैसा उल्लिखित है, किंतु त्वचा पर पिन बिंदु चिह्न के आधार पर सर्पदंश की पुष्टि तथा विषालब्युमिन विश्लेषण हेतु रक्त सुरक्षित" है। चिकित्सक मंसूर अहमद के कथन में उन्होंने सात व्यक्तियों द्वारा मृतक पर हमले के कारण चोटें लगने की संभावना को अस्वीकार किया है। समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्तों को विद्वान सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. उपर्युक्त विवेचित प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूं।

8. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आवेदक - आलोक सिंह की गिरफ्तारी की दशा में, उसे तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसके लिए वह व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान राशि की, संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक/संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद पर प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक जब भी पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, पूछताछ हेतु स्वयं उपलब्ध कराएगा;
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए;
- (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- (iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा;

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अभिमत केवल प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के विनिश्चय हेतु है और प्रकरण के गुण-दोष पर मत नहीं माना जाएगा।

17 मार्च, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)